

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 183 /21

उनवान

उंकार पिता मगनीराम खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- श्रीमति शान्तादेवी पत्नी घीसालाल ब्राह्मण निवासी चारभुजा मंदिर के पास, पारीक मोहल्ला सांगानेर जिला भीलवाड़ा
- 2- सोहन पुत्र रामलाल बलाई निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 3- जगदीश उर्फ पप्पू पुत्र रुग्नाथ धोबी निवासी अरनिया रासा हाल निवासी जवाहर नगर, पांसल चौराहा सब्जी मण्डी के पास भीलवाड़ा
- 4- देवीलाल पुत्र रुग्नाथ धोबी निवासी अरनिया रासा हाल निवासी म.नं. 987 मानसरोवर झील के पास पटेल नगर भीलवाड़ा
- 5- शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चन्द नौलखा  
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 06/12/2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी के ग्राम अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 3018 रकबा 0.70 है, 3202 रकबा 0.25 है 0 कुल किता 2 रकबा 0.95 हैक्टेयर की प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अरनिया रासा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अरनिया रासा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 0.95 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2021 को केम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत अरनिया रासा पर सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
एवं सहायक फेलक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक फेलक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.